विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

जन आन्दोलन को नया रूप देना होगा

'भारत छोड़ो' अथवा अगस्त क्रान्ति का आन्दोलन गांधीजी के नेतृत्व में था। गांधी ने हमें आन्दोलन करना सिखाया, सत्याग्रह का सार समझाया, भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया और देश की समग्र जनता उनकी हो ली, क्योंकि सत्य उनके साथ था, अहिंसा उनका शस्त्र था और उस समय की गंगा की तरह उनका चरित्र था। 'भारत छोड़ो' अंग्रेजों 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को उसी समय सफलता मिली थी जब वह जनता का आन्दोलन बना। दिनांक 8 अप्रेल, 1942 तक देश के सभी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के नेता गिरफ्तार हो चुके थे और आन्दोलन नेतृत्व विहीन हो गया था और सही अर्थों में वही आन्दोलन जनताका सफल आन्दोलन बन गया और देश आजाद हो गया हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

दिल्ली गेंगरेप की दुःखद घटना से उपजा जन आक्रोश जनता का आन्दोलन बन गया। वह आन्दोलन राजनेताओं के नेतृत्व से विहीन था, यही थी उसकी सफलता। केजीरवाल इस आधार पर अपना स्थान बना पाये कि वे 'आम आदमी' की टोपी सर पर रखकर आये थे। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां भी आन्दोलन हुआ वह जनताका आन्दोलन था। दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) की स्थापना हुई, जब देश भर में बलात्कार की घटनायें हो रही थीं। जनता ने आवाज उठाई, समूचे देश में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों न हो? कोर्ट खोली गईं।

जनता का आक्रोश जब सहन करने की सीमा पार कर लेता है तो जनता का गुस्सा फूट पड़ता है।

वर्तमान में जनता का आक्रोश सरकार के विरूद्ध भी है और न्याय व्यवस्था के विरूद्ध भी। दोनों में अन्तर है। राजनेता के प्रति विश्वास खण्डित हो चुका है; किन्तु न्यायालय में विश्वास अभी जीवित है।

विश्वास में सुधार संभव है, किन्तु वह केवल न्याय व्यवस्था में सुधार द्वारा ही हो सकता है। कानून की पालना निष्ठा के साथ हो। जहां कानून बनाने वाले व्यक्ति समझदार हों, शिक्षित हों, सद्चरित्र हों, जिन्हें अपने उन कर्त्तव्यों की जानकारी हो, जिनका उल्लोख संविधान के अनुच्छेद 51क में किया गया है। जिनका विश्वास, समता, समरसता व समानता में हो, जिनमें देश हित प्रधान हो, न कि पार्टी, धर्म व जाति विशेष का हो। देश अपना है इसे मिल जुलकर जनता का कल्याणकारी राज्य बनाना है, ऐसा राज्य जिसकी कल्पना संविधान के भाग-4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के रूप में की गई है और जहां मूल अधिकारों के साथ उनका संतुलन हो।

समय की पुकार है लोकतंत्र में जो व्यक्ति नागरिक के कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता है उसे चुनाव लडने से वंचित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार, सद्चरित्रवान हो, दागी नहीं होना चाहिये, जातिवाद व धर्म के नाम पर मतदान नहीं होना चाहिये। चुनाव में महिला व युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिये। चुनाव में व्यक्ति कितनी बार खड़ा हो इसकी संख्या तय होनी चाहिये। जो पिछड़ा नहीं रहा, उसके स्थान पर अति पिछड़े रहे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना सामाजिक न्याय है, इसकी पालना होनी चाहिये। संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है, जिसे अनुच्छेद 51क (क) में स्पष्ट कहा गया है। किसी व्यक्ति को चोर कहना भी मानहानि का अपराध हो सकता है। वाक् स्वातंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक गरिमामय अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत् नागरिक को प्राप्त है किन्तु वह अक्षुण्ण नहीं है इसे भी अनुच्छेद 19(2) में सीमित किया है; क्योंकि अनियमित स्वतंत्रता या प्रेस की निरंकुश स्वतंत्रता पब्लिक आर्डर के लिये कभी भी संकट पैदा कर सकती है।

समय की पुकार है लोकतंत्र में जो व्यक्ति नागरिक के कर्त्तव्यों की पालना नहीं करता है उसे चुनाव लडने से वंचित किया जाना चाहिये। उम्मीदवार, सद्चरित्रवान हो, दागी नहीं होना चाहिये, जातिवाद व धर्म के नाम पर मतदान नहीं होना चाहिये। चुनाव में महिला व युवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिये। चुनाव में व्यक्ति कितनी बार खड़ा हो इसकी संख्या तय होनी चाहिये। जो पिछड़ा नहीं रहा, उसके स्थान पर अति पिछड़े रहे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व देना सामाजिक न्याय है, इसकी पालना होनी चाहिये।

कांग्रेस सरकार ने आरटीआई लाकर देश में वाही वाही हासिल की थी। पार्टी ने पैरवी की थी कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूर्तरूप दे रही है। देश की सभी राज्य सरकारें की सभी योजनायें उनके आदर्श टिप्पणियां और कार्य के तरीके खुली किताब की तरह होंगे, वे जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। यही धारणा आरटीआई कानून की आधार शिला बनी थी।

देश के प्रसिद्ध जूरिस्ट व यशस्वी न्यायाधीश बी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक पत्र, जो उन्होंने दिनांक 26.12.1989 को उस समय के प्रधानमंत्री को लिखा था कि सूचना का अधिकार और सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होना चाहिये। हमारा संविधान यह अधिकार देता है। कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसेवक की जनवादी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिये। राजस्थान में आरटीआई आन्दोलन को जनवादी आन्दोलन बनाने का श्रेय यशस्वी सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित अरूणा रॉय को जाता है, उन्होंने यह जानकारी आन्दोलन राजस्थान के व्यावर शहर से 1996 से प्रारम्भ किया था और राज्य के 33 जिलों में यात्रा निकाली थी। राजस्थान राज्य सम्भवः प्रथम राज्य था जहां राज्य ने सूचना के अधिकार को कानूनी जामा पहिनाया। केन्द्र का आरटीआई कानून, 2005 में बना। आरटीआई 31 धाराओं से बना कानून है। नागरिक को प्रत्येक पब्लिक ऑथोरिटी से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। वह सरकारी पत्रावली को देख सकता है, उनसे नोट ले सकता है। नकल की प्रमाणिक प्रतिलिपि कुछ दस्तावेजों के अपवाद के साथ प्राप्त कर सकता है। इसी कानून के तहत चुनाव आयोग ने अपेक्षा की कि प्रत्येक मतदाता को अधिकार प्राप्त है कि जो व्यक्ति उसके हेतु कानून बनाने जा रहा है, उसका चरित्र कैसा है क्या वह दागी है, तो किन-2 मुकदमों में और उसकी योग्यता क्या है?

आज जनता अपने इस अधिकार से भलीभांति परिचित है, उसका परिणाम है प्रशासनिक क्षेत्र के मामलों में घोटाले उजागर हो रहे हैं। घोटाले करने वालों को चाहे वह बड़ा नेता हो व्यापारी हो या मंत्री उसे भी जेल जाना पडा है। जनका के लिये सूचना का अधिकार जनतंत्र की बडी जीत है।

पुनः इसी प्रकार का एक अन्य कानून 'जवाब देही कानून पास करो' का जन आन्दोलन अरूणा रॉय ने व्यावर से ही प्रारम्भ किया है। व्यावर से पदयात्रा प्रारम्भ हुई है और 26 नवम्बर को वह जयपुर में समाप्त हुई है। इस जन आन्दोलन में मांग की गई है कि राजस्थान जवाब देही विधेयक शीघ्र पारित हो, सुनवाई का अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो आदि। अरूणा रॉय ने कहा कि यह कानून केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का माध्यम नहीं है अपितु नागरिकों के अधिकारों को सशक्त करने का हथियार है। आशा है, राज्य के प्रगतिशील व राज्य के विकास को गति देने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस कानून की परीक्षा कर इसे जनहित में पारित कर लागू करेंगे।

संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी व कांग्रेस की अन्य सहयोगी पार्टियों ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कार्यवाही जो बिहार के चुनाव पर की गई वह केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण थी, वह जन आन्दोलन नहीं था। फलस्वरूप जनता ने उनके आन्दोलन को व आरोपों को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी केवल एक डिजीट् तक की सीटें प्राप्त कर सकी।

आरटीआई अधिनियम व जवाब देही कानून एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनके माध्यम से अपने अधिकारों को समझ सकेंगे और अपने ज्ञान का विस्तार कर गरिमा मय जीवन की कला को सीख पायेंगे। शास्त्रों ने इसी सन्दर्भ में कहा है, 'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः' अर्थात् ज्ञान का प्रकाश सब ओर से आने दो।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

SIR..... यस सर :: ..... सिरदर्द!

राम निवास बैरवा

".....संविधान अच्छा है या बुरा, यह उसको लागू करने वालों पर निर्भर करेगा। एक अच्छा संविधान बुरे हाथों से गलत परिणाम देगा और अच्छे हाथों से एक बुरा संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है।"

कुछ इसी तरह के विचार डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की अन्तिम बैठक में व्यक्त किए थे।

संविधान अपने आप को लागू करने वालों को सत्ता के शिखर तक पहुंचता है, लेकिन वे संविधान को लागू करने में अच्छे साबित होते है या बुरे, यह जांच-पड़ताल का विषय है जो स्वयं संविधान में लिखे मूल अधिकारों और राज्यों की नीति के निदेशक सिद्धांतों की कसौटी पर ही परखे जा सकते हैं, किसी कानून या सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा से नहीं, क्योंकि कानून स्वयं संकवधान को लागू करने वालों के द्वारा बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा कानूनो से बंधी होती है।

दिनांक 22 जुलाई, 2025 के 'राष्ट्रदूत' में मेरा एक लेख 'मतदाता सूची; 1952- नाम जोड़ो, 2025 नाम काटो (52-25; "संदर्भ बिहार विधानसभा चुनाव" प्रकाशित हुआ था। बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। उसी से उत्साहित होकर 12 अन्य राज्यों में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू किया गया है, जिसे दस दिसम्बर, 2025 तक पूरा करना है। इस दौरान कितने बी.एल.ओ. किस-किस वजह से मरे, यह बात अलग है, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों ने SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले दाखिल किये हैं, लेकिन, 26.11.2025 को नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई टिप्पणी की कि, "चुनाव आयोग को संविधान और कानूनी दृष्टि से मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करवाने का अधिकार है।"

संविधान सरकार को भी बहुत कुछ करने के लिए अधिकृत करता है तो उसके अधीन निर्मित संवैधानिक संस्थानों को भी बहुत कुछ अधिकार देता है। यदि सत्ताधारी लोगों और पार्टियों को कुछ स्वेच्छानुसार सही नहीं लगता है तो उसके कानून बनाकर उन्हें मनमाफिक बना देता है।

चुनाव आयोग, इस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के इरादो का प्रबंधक सा बना नजर आता है, जिससे किये गये किसी प्रश्न का उत्तर चुनाव आयुक्त नहीं देकर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रवक्ता देते हैं और वे चुनाव आयोग का बचाव करते है।

2002 की मतदाता सूची को आधार मानकर मतदाता सूचियों का व्यापक विशेष पुनरीक्षण करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार हो सकता है लेकिन चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 2002 में ऐसा ही पुनरीक्षण किया गया था उसी सूची का पुनरीक्षण करके क्या हासिल किया जा रहा है! जबकि वह 23 वर्ष पुरानी हो चुकी है। इन 23 वर्षों के दौरान कितने नये नाम जुड़े हैं, उनका क्या होगा?

अशिक्षित, अप्रशिक्षित, प्रवासी व्यक्ति निश्चय ही अब उस स्थान पर नहीं मिलेंगे जहां उनका नाम है, परन्तु मतदान के लिए वे वहां आने के भरसक प्रयास करते हैं। साथ में उनका परिवार भी होता है।

इसी में छिपा है चुनावों के लड्डू जिन्हें खाने को लालयित है सत्ताधारी पार्टी।

सत्ताधारी पार्टी के व्यवहारिक चरित्र का आंकलन सरकारी ताम-झाम के आचार-व्यवहार में दिखाई देता है। 1861 के पुलिक कानून की धारा 3 के अनुसार सारी पुलिस सरकार की नौकर है, वह संविधान या जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं है। उसी प्रकार आई.ए.एस. अधिकारी भी सरकार के नौकर हैं, संविधान के नहीं। उन्हें संविधान तब ही याद आता है।

जब उनकी सेवायें खतरे में पड़ती हैं और अनुच्छेद 311 की शरण लेते हैं। चुनाव आयुक्त अपनी जगह अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ डंटा है जो कि कोई आई.ए.एस. अफसर ही है। लेकिन, जिला कलेक्टर लोग जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उन्हें ही मतदाताओं के अधिकारों का रक्षक होना चाहिए, इसके विपरीत वे सरकार की इच्छाओं, उनकी योजनाओं को लागू करने का बीड़ा उठाये हैं.... यस सर!

कितने नाम काटे जायेंगे, किन लोगों के काटे जायेंगे, यह चुनाव परिणामों से साफ समझा जा सकता है।

इस पुनरीक्षण का यह भी परिणाम होगा कि 23 वर्षों के दौरान जोड़ें गये नामों में से ज्यादातर 2014 के बाद में जोड़े गये हैं, जिनसे ज्यादा समस्या नहीं होगी क्योंकि उनके पास मांगे जा रहे दस्तावजे होगें। जिनके पास नहीं होगें वे वे ही लोग हैं जो मजदूरी के लिए अन्य प्रांतों में गये हैं, मजदूर हैं, किसान हैं।

कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में स्वतन्त्र सार्विक मताधिकार को चुनिंदा मताधिकार में बदलने का प्रयास किया जा रहा हो?

डॉ. अम्बेडकर के संविधान सभा में दिये अन्तिम भाषण का यही तात्पर्य है।

- राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुशासनहीनता एवं सड़क दुर्घटनाएं

प्रो. कैलाश सोडाणी

रोटी, कपड़ा और मकान के पश्चात् हमारी अगली आवश्यकता परिवहन है। घर से बाहर निकलते ही हमें सड़क चाहिये। थोड़ा दूर जाना हो तो वाहन भी चाहिये। आज की दुनिया में सड़क एवं परिवहन मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। कुछ समय पहले तक वाहन रखना विलासिता होती थी। शहरों और गांवों के विस्तार ने कार्य-स्थल की दूरी को बढ़ा दिया, यहीं से वाहन एक जरुरत बन गया। नागरिकों की जरुरत को देखते हुए सरकार तेजी से सड़कों का निर्माण कर रही है। यही कारण है कि भारत में सड़कों का कुल नेटवर्क लगभग 65 लाख किलोमीटर तक पहुँच चुका है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरी ओर जनता भी वाहन खरीदने में पूरी तरह से उत्साहवर्धक है। देश में 2024 में 43 लाख कारों एवं 1.89 करोड़ों दोपहिया वाहनों की खरीद हुई। जनता की लापरवाही एवं गलती से आशीर्वाद अभिशाप में बदलता जा रहा है। अव्यवस्थित ट्राफिक प्रत्येक छोटे-मोटे शहर की आज महत्वपूर्ण समस्या है। केन्द्रीय सडक और परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2023 में देश में 4,80,583 दुर्घटनाएँ हुई, 1,72,890 लोगों की जान गई। 2022 की तुलना में 4.18 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी तो वाहनों की संख्या बहुत कम है। दुनियाँ के कुल वाहनों में भारत का हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का प्रतिशत 11 है। निःसन्देह स्थिति गम्भीर एवं दर्दनाक है। दुनियाँ के मुकाबले इतने कम वाहनों की स्थिति में भी इतनी अधिक सड़क दुर्घटनाएँ चिन्ता एवं चुनौती का विषय है। अभी तो हमारी आर्थिक समृद्धि में होने वाली अभिवृद्धि के साथ वाहनो की संख्या में तेजी से बढोतरी होना है।

भारत में सडक परिवहन ही यातायात का महत्वपूर्ण घटक है। देश में 85 प्रतिशत यात्री यातायात एवं 60 प्रतिशत माल यातायात सडक मार्ग से ही हो रहा है। सड़कों एवं वाहनों की क्वालिटी में जबरदस्त सुधार के बावजूद आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

देश में वाहन चालकों की मानसिकता ट्राफिक नियमानुसार गाड़ी चलाने की नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में गलत दिशा में गाडी चलाना एवं अनावश्यक हार्न बजाना आम बात है। पैदल चलने वाले राहगीर की सुरक्षा एवं सम्मान हमारे यहाँ चालक अपना विषय ही नहीं समझते हैं। अनुशासनरहित यातायात प्रदूषण को भी बढ़ाता है। जिस सहजता से हमारे यहाँ वाहन चलाने का लाइसेन्स प्राप्त करने की व्यवस्था है और ऐसे चालक जिन्हें ट्राफिक नियमों एवं निर्देशों की जानकारी तक नहीं है, उनसे दुर्घटना होना स्वाभाविक है।

हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के मामले में हम पूरी तरह लापरवाह हैं। सीट बेल्ट और हेलमेट की व्यवस्था हमारी सुरक्षा के लिए है, किसी यातायात मंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं है, फिर भी हम नहीं लगाते है। वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खडा करने में प्रायः हमें खुशी नहीं होती है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रायः वीआईपी अपनी गाड़ी को नॉन-पार्किंग जोन में खड़ी करते हुए प्रतिष्ठा का अनुभव करते है फिर यही विचार आम आदमी में भी आता है।

हमारे यहाँ एक मोटर साइकिल पर प्रायः तीन मित्रों के बैठने की परम्परा पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे अपने यहाँ तीन सवारी बैठे बिना मोटर साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती है। थोड़ा सोचो, सरकार इसमें क्या करें? अपने मतदाताओं की खुशी तो नहीं छीन सकती है। अव्यवस्थित ट्राफिक के कारण अनावश्यक बन रहे स्पीड ब्रेकर हमारी गति को धीमी कर रहे हैं और दुर्घटना की वजह भी बन रहे है।

सड़क दुर्घटना का एक बड़ा कारण देश में अतिक्रमण के प्रति जबरदस्त लगाव एवं सम्मान भी है। मोहल्ले में सबसे ज्यादा अतिक्रमण करने वाला मकान मालिक ही मोहल्ले का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। हमारे देश के दुकानदारों को माल बेचने से ज्यादा माल को सड़क पर सजाने में मजा आता है। यदि दुकानदार के पास सड़क पर सजाने के लिए सामान नहीं है तो होर्डिंग/ बोर्ड /बेंच लगाकर ही खुश होने का प्रयास करता है। बिजली एवं टेलिफोन के खम्भें भी अतिक्रमण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कमजोर है। परिणामस्वरूप दो एवं चार पहिया वाहनों का तेजी से इजाफा हो रहा है। उसी अनुपात से दुर्घटनाएँ बढ़ती जा रही है। इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। सड़क दुर्घटना दुर्घटना के मौत के इतने बड़े आंकड़ों के लिये सरकार कम, हम स्वयं ज्यादा जिम्मेदार हैं। सड़क दुर्घटनाएँ हमारी अनुशासनहीनता का ही दुष्परिणाम है। एयरपोर्ट की भाँति सड़क पर भी अनुशासन चाहिये। जान जोखिम में डालकर यात्रा करना कौनसी समझदारी है? मेरा मानना है कि नियमों की अवहेलना की स्थिति में निर्धारित आर्थिक दण्ड को कई गुणा बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। भाषण से नहीं, आर्थिक दण्ड से ही मानसिकता ठीक होगी। थोड़ा शान्ति से सोचिये, आखिर ट्राफिक नियमों का पालन करने में हर्ज ही क्या है? बिना देरी किये, आज से ही इस शुभ कार्य को प्रारम्भ कीजिये।

–प्रो. कैलाश सोडाणी,
पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

251 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर को डाइट में लगाया

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में सभी शिक्षा अधिकारियों को 12 दिसम्बर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर लेक्चरर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्तर के 251 शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी भी शिक्षा अधिकारी को डाइट से हटाए बगैर सभी को लगाया गया है। विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्यभर से शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था।

- **विभाग ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करने के लिए राज्यभर से शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था**

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में सभी शिक्षा अधिकारियों को 12 दिसम्बर तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षा विभाग ने राज्य की डाइट्स में रिक्त पदों पर ही इन शिक्षा अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। वहीं कुछ जिलों में रिक्त पदों से अधिक लेक्चरर और प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी गई है। इस पोस्टिंग के बाद भी कई पद रिक्त भी रह जाएंगे।

डाइट में पोस्टिंग से पहले शिक्षा विभाग ने अपने ही विभाग में कार्यरत अधिकारियों से आवेदन मांगे थे। इसके बाद इनका चयन किया गया। चयनित शिक्षा अधिकारियों को ही यहां पोस्टिंग दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली और कार्य गुणवत्ता के आधार पर चयन हुआ है।

राज्य में डीएलएड कोर्स डाइट में संचालित होते हैं और इन कोर्स को चलाने के लिए एनसीटीई के मानदंडों की पालना करनी होती है। इसी कारण प्रदेशभर के सभी डाइट्स में लेक्चरर लगाए गए हैं ताकि टीचर्स तैयार करने वाले डीएलएड कोर्स की मान्यता पर असर नहीं पड़े। पूर्व में एनसीटीई राज्य के दोनों सरकारी बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द कर चुका है।

दो नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया

सीकर, (निसं)। बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा ने बताया कि 3 दिसंबर व 4 दिसंबर को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे राष्ट्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए 100 दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। वहीं सीकर जिले में प्रशासन एवं गायत्री सेवा संस्थान के सयुक्त प्रयास से दादिया पुलिस थाना क्षेत्र धोद पंचायत में दो नाबालिग का बाल विवाह रोक कर पूरे प्रदेश में उदाहरण प्रस्तुत किया है।

बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में धोद पंचायत के गोठड़ा के गांव में 15 वर्षीय नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया। इस दौरान दादिया थाना से हेड कॉन्स्टेबल रामस्वरूप, बीट अधिकारी सरिता तथा जस्ट फॉर चिल्ड्रन एलायंस एवं गायत्री सेवा संस्थान से जिला समन्वयक नरेश कुमार, अभिषेक बगड़िया मौजूद रहे।

रतनगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला

रतनगढ़, (निसं)। रोडवेज बस स्टैंड पर लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ रोडवेज कर्मियों और एजेंटों ने आवाज बुलंद की है। रोडवेज बुकिंग प्रभारी रणवीर सिंह, एजेंट संपत सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह चारण, राकेश सैनी सहित अन्य कर्मचारियों ने एसडीएम, सीआई, व ईओ को ज्ञापन सौंपकर बस स्टैंड की बिगड़ती व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की।

ज्ञापन में उल्लेख है कि गया वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार बस स्टैंड का संचालन एवं प्रबंधन पूर्ण रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सौंपा गया था। इसके बावजूद नगरपालिका की ओर से बस स्टैंड परिसर का उपयोग अन्य गतिविधियों के लिए किया जाना नियमों का उल्लंघन है। इस कारण बस स्टैंड पर अनधिकृत वाहनों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। न्यायालय के आदेशों का भी नहीं हो रहा पालन रोडवेज विभाग ने अपने पत्र में यह भी बताया कि रतनगढ़ न्यायालय में दायर वाद संख्या 15/2009 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि बस स्टैंड परिसर का उपयोग केवल बस संचालन एवं यात्रियों की सुविधा के लिए ही किया जाए। इसके बावजूद बस स्टैंड में प्राइवेट वाहनों की अनधिकृत पार्किंग लगातार बनी हुई है, जो आदेशों की अवहेलना है। बस स्टैंड परिसर में दुकानदारों द्वारा स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण कर रखा गया है। जिसके कारण रोडवेज बसें बूथ पर नहीं लग पातीं और स्टैंड का संचालन अस्त-व्यस्त हो गया है।इसके अलावा बस स्टैंड पर प्राइवेट बसों, टैक्सियों और हाथ ठेलों का निरंतर जमावड़ा रहता है, जिससे रोडवेज बसों के प्रवेश व निकास में बाधा आती है। अव्यवस्थित भीड़ के चलते बसों को सड़क पर ही रुकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को चढ़ने-उतरने में भारी परेशानी होती है।कर्मचारियों ने यह भी कहा कि बस स्टैंड पर अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ के चलते आए दिन दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि बसों के बीच से दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन निकलते समय टक्कर की नौबत आ जाती है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की कि-बस स्टैंड परिसर से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए, प्राइवेट बसों व टैक्सियों का प्रवेश नियंत्रित किया जाए, हाथ ठेलों और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई की जाए, रोडवेज बसों को उनके निर्धारित बूथ पर लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रोडवेज कर्मियों ने कहा कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो बस स्टैंड की बदहाल व्यवस्था और गंभीर रूप ले सकती है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 5 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, रोहिणी नक्षत्र दिन 11:46 तक, सिद्धि योग प्रातः 8:08 तक, बालव करण दिन 2:50 तक, चन्द्रमा रात्रि 10:15 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-वृष, मंगल-वृश्चिक, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज यमघट योग और कुमार योग सूर्योदय से दिन 11:46 तक है। राजयोग रात्रि 12:56 से सूर्योदय तक है। आज गुरू मिथुन राशि में सायं 5:20 पर प्रवेश करेगा। आज रसिक माधुरी जयन्ती, रोहिणी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:23 तक, लाभ-अमृत 8:23 से 10:59 तक, शुभ 12:17 से 1:35 तक, चर 4:11 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:04, सूर्यास्त 5:30 तक

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ यथावत बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कन्या
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी और व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। आज अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी और सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में आज महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।